

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 56/2023

दर्ज दिनांक 16.06.2023

जीसीएम प्रकरण संख्या :- 2023/196

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1-गणेश पिता गैना कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-केशी पुत्री जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-दाखी पत्नि लेहरूलाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-नाथी पुत्री जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-रामलाल पिता जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-लेहरूलाल पिता जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-सुखी पुत्री जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-सुड़ी पुत्री जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

अमरसिंह चारण - अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एकपक्षीय

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

:: निर्णय ::

दिनांक:- 04.09.2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 24.02.2025 के द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1539 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1540 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 1541 रकबा 0.66 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.34 है0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे व हिस्से को ध्यान में रखते हुए जरिये मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।




(Handwritten signature)

सहायक कलक्टर
(एस.जी.ओ.) रायपुर

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/694 दिनांक 12.06.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	गणेश पिता गेना कुमावत सा. थला	ग्राम बागोलिया (खाता संख्या 119)	1541/1	0.4466
		योग	1	0.4466
2	केशी पुत्री जोरा 1/12 कुमावत, नाथी पुत्री जोरा 1/12 कुमावत, सुखी पुत्री जोरा 1/12 कुमावत, सुडी पुत्री जोरा 1/12 कुमावत, लेहरूलाल पुत्र जोरा 1/12 कुमावत, रामलाल पुत्र जोरा 1/12 कुमावत, दाखी पत्नि लेहरु 1/2 कुमावत सा.देह	ग्राम बागोलिया (खाता संख्या 119)	1541/2 1540 1539	0.2134 0.6500 0.0300
		योग	3	0.8934

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।


 (करुणा लाडोती)
 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
 (रा.जी.ओ.) रायपुर

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
 (रा.जी.ओ.) रायपुर

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 56/2023

दर्ज दिनांक 16.06.2023

जीसीएम प्रकरण संख्या :- 2023/196

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1-गणेश पिता गैना कुमावत निवासी थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-केशी पुत्री जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-दाखी पत्नि लेहरूलाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-नाथी पुत्री जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-रामलाल पिता जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-लेहरूलाल पिता जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-सुखी पुत्री जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-सुडी पुत्री जोरा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

अमरसिंह चारण - अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एकपक्षीय


निर्णय दिनांक : 04.09.2025


डिक्री दिनांक : 04.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रुबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	गणेश पिता गैना कुमावत सा. थला	ग्राम बागोलिया (खाता संख्या 119)	1541/1	0.4466
		योग	1	0.4466





सहायक कलक्टर
(रा.जी.ओ.) रायपुर

2	केशी पुत्री जोरा 1/12 कुमावत, नाथी पुत्री जोरा 1/12 कुमावत, सुखी पुत्री जोरा 1/12 कुमावत, सुड़ी पुत्री जोरा 1/12 कुमावत, लेहरूलाल पुत्र जोरा 1/12 कुमावत, रामलाल पुत्र जोरा 1/12 कुमावत, दाखी पत्नि लेहरू 1/2 कुमावत सा.देह	ग्राम बागोलिया (खाता संख्या 119)	1541/2 1540 1539	0.2134 0.6500 0.0300
		योग	3	0.8934


नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत् Nil
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी के दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख
 04.09.2025 को जारी किया गया।


 (करुणा लाडोती)
 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
 (रा.जी.ओ. रायपुर)

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		




 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
 (रा.जी.ओ. रायपुर)